प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –845 / 2023

अनवान : –

1. सुभाष चन्द्र पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धापी पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. बाला पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. माया देवी पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. रेशमा देवी पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सुनिता पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 16/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 137 / 129 की कुल 3. 2890 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 प्रत्येंक के नाम 1 / 18 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता स0 8 / 9 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक के 1 / 36 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने से उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है क्योंकि प्रतिवादी स0 1 के नाम रोही मौजा 6 जेएसएन में अलग से कृषि भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी स0 2 जो की वादी की बहिन है वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने को कहा आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौद दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा गुडिया प्रदर्श–1, जमाबंदी रोही मौजा गुडिया प्रदर्श–2, जमाबंदी कोलोनाईजेशन विभाग प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवाए। प्रतिवादी स0 5 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी ओम प्रकाश के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का इकबाल/आपसी सहमति पूर्व में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं तथा प्रतिवादी स0 1 के रोही मौजा 6 जेएसएन में अलग से कृषि भूमि दर्ज है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 137/129 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 प्रत्येंक के नाम 1/18 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता स0 8/9 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा गिरधारीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 137/129 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 प्रत्येंक के नाम 1/18 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता स0 8/9 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 1/6/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –845 / 2023
अनवान : –

1. सुभाष चन्द्र पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धापी पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. बाला पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. माया देवी पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. रेशमा देवी पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सुनिता पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 845 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 137 / 129 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 प्रत्येंक के नाम 1 / 18 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता स0 8 / 9 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक के 1 / 36 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादीया स0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.6.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोट–..........................

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested